# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—20/2018/225 (2018/00020)

1. ओमप्रकाश माली दत्तक पुत्र कालू, निवासी जामोला, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. प्रभूसिंह पुत्र लादूसिंह,
2. श्रीमती सम्पति पत्नि प्रभूसिंह,
   दोनों जाति रावत, निवासी राजोरियो का बाड़िया, जामोला, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
3. नन्द किशोर पुत्र हीरालाल, जाति माली, निवासी ग्राम जामोला, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

वादीगण/रेस्पोडेंटस

4. कुमारी अल्का पुत्री सत्यनारायण नाबालिग जरिये कुदरती वालिया दादी श्रीमती रूकमा पत्नि स्व0 रतनलाल,
5. श्रीमती रूकमा पत्नि स्व0 रतनलाल माली,
6. श्रीमती कौशल्या पत्नि हीरालाल माली,
   समस्त निवासी जामोला, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
7. प्रेमसिंह पुत्र परसासिंह, जाति रावत, निवासी राजोरियो का बाड़िया, जामोला, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
8. उप पंजीयक, मसूदा, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 29.12.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 49/2017.

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. रेस्पो0 संख्या 4 से 7 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 8 व 9.

## निर्णय

दिनांकः— 21·10·2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 29.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने अप्रार्थी/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 7 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सहखातेदारी की आराजी ग्राम व पटवार हल्का जामोला तहसील मसूदा में भाग (क) खसरा नंबर 560 रकबा 2–7–00, 561 रकबा 2–1–00, 562 रकबा 00–03–10, 1491 रकबा 00–06–10, 1492 रकबा 4–9–00, 1505 रकबा 00–18–00, 2395 रकबा 00–09–00, 2396 रकबा 00–10–00, 2405 रकबा 2–1–10, 00–06–00, 2406 रकबा 00–02–00, 00–15–00 एवं भाग ख के खसरा नंबर 559 रकबा 3–17–00, 1490 रकबा 13–5–00 स्थित है । उक्त प्रार्थना पत्र के भाग क में प्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा व भाग ख में प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रार्थिया संख्या 2 का भाग क के खसरा नंबर 560, 561, 562, 1491, 1492, 1505 में 1/4 हस्सा व प्रार्थी संख्या 3 का भाग क में से संपूर्ण खाते में 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का भाग क में से 1/8 हिस्सा व भाग ख में से खसरा नंबर 1490 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का भाग क में से 1/4 हिस्सा व भाग ख के खसरा नंबर 1490 में से 1/2 हिस्सा व खसरा नंबर 559 में अप्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 का भाग ख में से खसरा नंबर 559 में से 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 4 का भाग क में से खसरा नंबर 2395, 2396, 2405 व 2406 में 1/4 हिस्सा दर्ज होकर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है । प्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमियों को अलग–अलग समय पर अलग बेचाननामे से खरीद कर काबिज काश्त करते चल आ रहे है ।प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के मध्य झगड़े–फसाद होते रहते है । प्रार्थीगण ने अने हिस्से को अलग करवाने हेतु कई बार निवेदन किया किया किन्तु अप्रार्थीगण टालमटोल करते आ रहे है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद तक पाबंद किया जावे कि विवादित भूमियों में प्रार्थीगण के हिस्से में आई भूमियों में प्रवेश नहीं करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा जब तक विधिवत् रूप से बंटवारा नहीं हो जावे तब तक विवादित भूमियों को बेचान हस्तातंरण आदि नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 29.12.2017 स्वीकार कर दोनों पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आरायिजात को बिना विभाजन कराये बेचान, हस्तातंरण, रहन, नहीं करे, तथा खसरा नंबर संख्या 1492 रकबा 4–9–00 किस्म बारानी–1 में दोनों पक्ष मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हुए ताफैसल मूल वाद तक किसी भी प्रकार से काबिज नहीं रहेगें एवं ना ही काश्त करेगें । राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया कि वादीगण/रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 के तहत संपूर्ण भूमियों बाबत् राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं होने तक किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई हस्तातंरण नहीं किए जाने बाबत् अनुतोष चाहा था तथा स्वंय न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यह माना कि दोनों पक्ष प्रश्नगत भूमि के विषय में स्वंय का कब्जा होने बाबत् कथन करते है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा समस्त भूमि बाबत् बेचान, हस्तातंरण नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई । खसरा

संख्या 1492 बाबत् पृथक से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार की रिलीफ बाबत् अपने प्रार्थना पत्र में कोई उज्र व्यक्त नही किया गया था । ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 1492 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि बाबत् अधी0न्याया0 को पृथक से आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। परन्तु अधी0न्याया0 ने केवल मात्र वादीगण/रेस्पो0 को लाभ पहुंचाने की गरज से अपीलांट के कब्जेशुदा आराजी खसरा नंबर 1492 बाबत् जो आदेश पारित किया है वे पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत किसी व्यक्ति को भूमि पर काश्त करने से नहीं रोका जा सकता है एव ना ही किसी काबिज व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में खसरा नंबर 1492 जिस पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त है एवं वादीगण/रेस्पो0 का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा पूर्व में भी धारा 145 जा0फौजदारी के तहत हुई कार्यवाही में अपीलांटस के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई थी जिससे यह पूर्णतया सिद्ध था कि प्रश्नगत भूमि पर मात्र अपीलांट का ही कब्जा काश्त है । ऐसी स्थिति में केवल मात्र अपीलांट के कब्जे काश्तशुदा आराजी खसरा नंबर 1492 से उसे बेदखल करने एवं काश्त नही करने देने की नियत से अधी0न्याया0 ने अभिवचनों से परे जाकर सरसरी तौर पर खसरा नंबर 1492 बाबत् जो आदेश पारित किया है पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष खसरा नंबर 1492 बाबत् ऐसा कोई उज्र ऐतराज एवं अभिवचन नहीं था जिससे खसरा नंबर 1492 बाबत् पृथक से कोई आदेश पारित किया जा सके एव ना ही ऐसी कोई साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध थी जिससे कि अपीलांट के कब्जेशुदा भूमि खसरा नंबर 1492 से किसी पक्ष को काबिज नहीं रहने बाबत् एवं काश्त नहीं करने बाबत् आदेश पारित करना पड़े । अधी0न्याया0 ने समस्त स्थिति को दरकिनार कर सरसरी तौर पर मात्र वादीगण/रेस्पो0 को लाभ पहुंचाने की गरज से आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 29.12.2017 में आराजी खसरा नंबर 1492 रकबा 4 बीघा बाबत् पारित आदेश को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पक्षकारान की सह खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है । खसरा नंबर 1492 में स्थित कुएं से रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा पिलाई करने में अपीलांट द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तथा आये दिन पक्षकारान के मध्य लड़ाई झगड़े होते रहते है । इस संबंध में रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई गई थी साथ ही धारा 145 की कार्यवाही भी की गई लेकिन समान्तर दावा विचाराधीन होने से उक्त कार्यवाही ड्रोप कर दी गई थी । खसरा नंबर 1492 पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। खसरा नंबर 1492 के संबंध में पक्षकारान के मध्य लड़ाई–झगड़े की संभावनाओं को ध्यान में रखकर अधी0न्याया0 ने दोनों पक्षों को खसरा नंबर 1492 पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा ताफैसला वाद तक किसी प्रकार से काबिज नहीं रहने एवं काश्त नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया। विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2070 से

2073 के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने विवादित आराजियात पर अपने हिस्से पर कब्जा काश्त होने का कथन किया है। दोनों पक्षों के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद है । इन सब तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा । अधी0न्याया0 ने वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात की सुरक्षित रखने हेतु उभयपक्ष को बिना विभाजन कराये बेचान, हस्तातंरण, रहन नहीं करने तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । अधी0 न्यायालय का उपरोक्त आदेश विधिसम्मत् है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा खसरा संख्या 1492 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा बाबत् पारित आदेश की दोनों पक्ष मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने तथा ताफैसला वाद तक किसी भी प्रकार से काबिज नहीं रहेगें एवं ना ही काश्त करेंगे, विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा खसरा नंबर 1492 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश कि "दोनों पक्ष ताफैसला वाद किसी भी प्रकार से काबिज नहीं रहेगें एवं ना ही काश्त करेगें" निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 में आंशिक संशोधन किया जाकर खसरा नंबर 1492 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा बाबत् पारित आदेश कि "दोनों पक्ष मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें" यथावत् रखा जाता है तथा "ताफैसला वाद तक किसी भी प्रकार से काबिज नहीं रहेगें एवं ना ही काश्त करेंगे" संबंधी आदेश निरस्त किया जाता है । अन्य खसरा नंबरान बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर